न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पवर्तसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 3/2020

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती कलु बेवा खानिया जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी सुरापाडा निचला घण्टाला , तहसील बांसवाड़ा वगैराह।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश पिता रामला जाति भील उम्र 42 वर्ष निवासी सुरापाडा निचला घण्टाला तहसील व जिला बांसवाड़ा वगैराह
2. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा।

अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी अधिवक्ता : श्री यशपाल गुप्ता
अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री परमेश चरपोटा

आदेश

दिनांक :–25–02–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के खाता संख्या 28 नया 22 पुराना के खेत सर्वे नम्बर 344 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा , खेत सर्वे नम्बर 956/316 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा व खेत सर्वे नम्बर 958/296 रकबा 01 बीघा कुल खेत 03 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम निचला घण्टाला में स्थित है एवं प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बापदादाओं के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं उक्त भूमि के पूर्व दिशा में निचला घण्टाला से भुंगडा जाने वाला रोड है एवं उक्त रोड के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण के मकानात (टापरे) बने हुए है एवं सभी प्रार्थीगण अलग अलग मकानात (टापरे) बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के मकानात में जाने हेतु रोड़ से दक्षिण दिशा व उत्तर दिशा में रास्ता है, जिस पर से प्रार्थीगण वर्षो से आना–जाना कर रहे है। उनके मकान के दक्षिण दिशा में कालु, रमेश, बापुलाल व श्रीमती रूपा ने कच्ची बागड़ बनाकर प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण अपने मकानात में आना–जाना, बैलगाडी, ट्रेक्टर–टॉली, थ्रेसर, मोटरसाईकिले, गाय, बैल व हल इत्यादि लाना ले जान मुश्किल हो गया है तथा प्रार्थीगण के मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 गणेश ने भी रास्ता रोक दिया है एव उक्त रास्ते की भूमि पर ईट व पत्थर मौके पर डाल दिये है और कमरे का निर्माण करने की चेष्टा कर रहा है। उक्त उत्तर दिशा में गणेश द्वारा रास्ता रोक देने से प्रार्थीगण अपने मकान में आना–जाना, बैलगाडी, ट्रेक्टर–टॉली, थ्रेसर, मोटरसाईकिले, गाय, बैल व हल इत्यादि लाना ले जाना मुश्किल हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के मकानात (टापरे) जो निचला घण्टाला से भुगड़ा जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है एवं प्रार्थीगण उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर पूर्व में स्थित रास्ते से आना–जाना, बैलगाडी, ट्रेक्टर–ट्रॉली, थ्रेसर, मोटरसाईकिले, गाय, बैल व हल इत्यादि लाना ले जाना मुश्किल हो गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से उक्त रास्ता जो अवरूद्ध कर दिया है, उसे प्रार्थीगण के आने–जाने हेतु तत्काल प्रभाव से खोले जाने आदेश प्रदान करने निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि उक्त भूमि के पूर्व दिशा में निचला घण्टाला से भुगडा जाने वाला रोड स्थित है। यह बात अस्वीकार है कि उक्त रोड़ पश्चिम दिशा में सभी प्रार्थीगण के मकानात (टापरे) बने हुये हो।

तहसीलदार बांसवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौजा निचला घण्टाला खसरा नम्बर खसरा संख्या 334 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा , खसरा संख्या 956/316 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा व खसरा संख्या 958/296 रकबा 01 बीघा कुल खेत 03 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा लगान 10.14 रूपया भूमि वादीगण कलु बेवा खानिया, जगजी, लक्ष्मण, केवजी, कान्ति पिता खानिया राजु, सुखराम, देवीलाल पिता रामचन्द्र ना.बा.स.प. माता मॉना व मॉना बेवा रामचन्द्र भील के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगणों के मकान खसरा नम्बर 958/296 रकबा 1.00 बीघा में स्थित है। उक्त आराजी नम्बर 958/296 दायी मुख्य नहर पर स्थित है। प्रतिवादीगण श्री बापुलाल पिता केरेंग के मकान नहर सीमा में बना हुआ है तथा बापुलाल द्वारा नहर सीमा में बागड बनाकर वादीगणों के मकानों तक जाने वाले रास्ते सकड़ा कर दिया है। जिससे ट्रैक्टर ट्रौली आदि ले जाने में परेशानी होती है। प्रतिवादी गणेश पिता रामा द्वारा नहर सीमा में गुमटी बना दी गई है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन में बताया कि प्रार्थना में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार है। उक्त भूमि पर प्रार्थी बापदादाओं के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में निचला घण्टाला से भुंगड़ा जाने वाला रोड़ है एवं उक्त भूमि के पश्चित दिशा में प्रार्थीगण के टापरे बने हुए है सभी प्रार्थीगण अलग अलग मकानात बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। मकानात में जाने हेतु रोड के दक्षिण दिशा व उत्तर दिशा में रास्ता है, जिस पर प्रार्थीगण वर्षो से आना–जाना कर रहे है। उसके मकान के दक्षिण दिशा में कालु, रमेश, बापुलाल व श्रीमती रूपा ने कच्ची बागड़ बनाकर प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण को अपने मकानात में आने जाने, बैलगाड़ी, पशु इत्यादि लाना ले जाना मुश्किल हो रहा है। रास्ता खुलवाया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के खाते की नकल, ट्रेस नक्शा, व फोटोग्राफ्स जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि को अवरूद्ध कर दिया गया है दर्शाया है। प्रार्थी ने बहस के समर्थन में नजीर प्रस्तुत की गई जिसमें 2014(2)RRT1440 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Dala & Ors. Vs. Moto Devi & Anr. निर्णय दिनांक 19 मई, 2014 अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 251 ए–एस.डी.ओ. [illegible] रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया गया–राजस्व [illegible] स्वीकार की और प्रकरण प्रतिप्रेषित किया–विचारण न्यायालय ने कोई [illegible] नहीं की न तहसीलदार द्वारा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:01 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट व जवाब को रेकार्ड पर लिया–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने कथन में बताया कि प्रार्थीगण का उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में कोई रास्ता नही है। उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में काफी पुराने समय से प्रतिवादीगण व उनके मकान बने हुये है। प्रार्थीगण के पूर्व में करीबन 50 फीट का रास्ता है जो निचला घण्टाला से भूंगडा जाने वाले मुख्य रोड पर मिल रहा है। प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का रास्ता नही रोका है। उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में कोई रास्ता हो तो प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय संलग्नक, अप्रार्थीगण के जवाब ,तहसीलदार बांसवाड़ा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। तो पाया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नकों में प्रार्थी द्वारा किस भूमि के आराजी नम्बर से रास्ता दिया जाना है। उसका प्रस्तावित नक्शा, वर्तमान नक्शा, आराजी नम्बर व रकबे का अंकन स्पष्ट प्रस्तुत नही किये गये है। तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में जिस रास्ते को सकड़ा कर दिया जाना बताया वह नहर सीमा का रोड़ पर गुमटी बना देने एवं कच्ची बागड भी नहर सीमा का रोड पर अंकन कर बताया गया है। जो नहर सीमा रोड पर अतिक्रमण प्रतीत हो रहा है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में कोई रास्ता हो उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो ग्राफ में रोड दर्शाया है उसमे मकान के सामने रोड़ होना जाहिर हो रहा है। अन्य फोटो ग्राफ में मात्र मकान व खेत में फसल लगी हुई होना जाहिर हो रहा है। प्रार्थी स्वयं ने उसके मकान के दक्षिण दिशा में कच्ची बागड बनाकर रास्ता रोके जाने जाहिर किया है। प्रकरण में किस भूमि से रास्ता दिया जाना है उसका स्पष्ट विवरण नही बताया है न ही कोई रास्ता दिये जाने हेतु नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण उक्त धारा का नही होकर नहर की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता रोके जाना जाहिर हुआ है, जिससे प्रार्थी का खेत का मार्ग अवरूद्ध हुआ है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तर्क संगत विधिक न्यायिक बिन्दु रास्ता दिये जाने बाबत प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। तहसीलदार बांसवाड़ा विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 25–02–2021 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:01 IST
Reason: SelfAttested